

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 के खण्ड (xix) के उप-खण्ड (क) में, विद्यमान शब्द और विराम चिह्न “कुष्ठ,” हटाया जायेगा।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 24 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 24 में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (xvii) हटाया जायेगा;
 - (ii) परन्तुक का विद्यमान खण्ड (ड) हटाया जायेगा;
और
 - (iii) विद्यमान **स्पष्टीकरण** हटाया जायेगा।
-

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) की धारा 24 किसी नगरपालिका के सदस्यों के लिए सामान्य निरर्हताओं का उपबंध करती है। इस धारा का खण्ड (xvii) यह बताता है कि कोई व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतानें हैं, तो वह किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए निरर्हित होगा।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि भारी तादाद में व्यक्ति जनता को प्रेरित करने और उनकी सेवा करने की क्षमता रखते हैं और नगरपालिका जैसी संस्थाओं का मार्गदर्शन करने की परिकल्पना रखते हैं, उन्हें दो से अधिक सन्तानें होने के कारण नगरपालिका का सदस्य होने का अवसर नहीं मिल पाता है। इसके अलावा, राज्य में जन्म दर पर नियन्त्रण करने के लिए समाज में व्यापक सजगता है। इसलिए, राज्य सरकार ने 2009 के उक्त अधिनियम की धारा 24 से यह निरर्हता हटाने का विनिश्चय किया है।

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 83/2010 में दिनांक 07-05-2025 को एक आदेश पारित किया है, जिसमें समस्त राज्य सरकारों को, ऐसे समस्त परिनियमों, विनियमों, नियमों आदि जिनमें कुष्ठ प्रभावित या उपचारित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई विभेदकारी, अनादर सूचक और अपमानजनक उपबंध अंतर्विष्ट हों, की पहचान करने के लिए एक समिति गठित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में बनायी गयी समिति ने यह पहचान की है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2 में अभिव्यक्ति “खतरनाक रोग” की परिभाषा में “कुष्ठ” का संदर्भ है और 2009 के उपर्युक्त अधिनियम से इसे हटाने का सुझाव दिया गया है।

अतः, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2 और धारा 24 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

झाबर सिंह खर्वा,
प्रभारी मंत्री।

**राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम
सं. 18) से लिये गये उद्धरण**

XX XX XX XX XX

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) से (xvii) XX XX XX XX

(xix) “खतरनाक रोग” से अभिप्रेत है,-

(क) हैजा, प्लेग, चेचक, प्रमस्तिष्क सुषुम्नावरण-शोथ, डिप्थीरिया, क्षय रोग, कुष्ठ, इंप्लुएंजा, मस्तिष्क कला शोथ, पोलियो या उपदंश; या

(ख) XX XX XX XX

(xx) से (lxxiii) XX XX XX

XX XX XX XX XX

24. सदस्यों के लिए साधारण निरर्हताएं.- कोई व्यक्ति, अन्यथा अर्हित होते हुए भी, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए निरर्हित होगा-

(i) से (xvi) XX XX XX XX

(xvii) यदि उसके दो से अधिक सन्तानें हैं, या

(xviii) से (xix) XX XX XX XX

परन्तु-

(क) से (घ) XX XX XX XX

(ङ) कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक सन्तानें हैं, खण्ड (xvii) के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि 27 नवम्बर, 1995 को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण.- खण्ड (xvii) के प्रयोजन के लिए,-

- (I) किसी एकल प्रसव से जन्मी हुई सन्तानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जायेगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा; और
- (II) संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मी हो और दिव्यांगता से ग्रस्त हो और इस प्रयोजन के लिए, शब्द “दिव्यांगता” में, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 49) में या उसके अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार की दिव्यांगता सम्मिलित होगी।

XX

XX

XX

XX

XX

Bill No. 8 of 2026

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES
(AMENDMENT) BILL, 2026**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-clause (a) of clause (xix) of section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the principal Act, the existing word and punctuation mark “leprosy,” shall be deleted.

3. Amendment of section 24, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 24 of the principal Act,-

- (i) the existing clause (xvii) shall be deleted;
 - (ii) the existing clause (e) of proviso shall be deleted;
and
 - (iii) the existing **Explanation** shall be deleted.
-

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 24 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) provides general disqualifications for members of a municipality. Clause (xvii) of this section stipulates that a person having more than two children shall be disqualified for being chosen as or for being a member of a Municipality.

It has come into the notice of the State Government that a great number of persons having the ability to inspire and serve the public and a vision to lead an institution such as municipality, do not get an opportunity for being a member of municipality for the reasons that he or she has more than two children. Therefore, the State Government has decided to remove this disqualification from section 24 of the said Act of 2009.

The Supreme Court in Writ Petition (Civil) No. 83/2010 has passed an order dated 07-05-2025 wherein it has directed all the State Government to constitute a committee to identify all statutes, regulation, rules etc. containing any discriminatory, derogatory and demeaning provision against leprosy affected or cured persons.

The committee formed in pursuance to the aforesaid order identified that there is reference of leprosy in the definition of expression “dangerous disease” in section 2 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and suggested to remove it from the aforesaid Act of 2009.

Accordingly, section 2 and section 24 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 are proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

झाबर सिंह खर्वा,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
MUNICIPALITIES ACT, 2009
(Act No. 18 of 2009)**

XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(i) to (xviii) xx xx xx xx

(xix) "dangerous disease" means-

(a) cholera, plague, small-pox, cerebrospinal meningitis, diphtheria, tuberculosis, leprosy, influenza, encephalitis, poliomyelitis, or syphilis; or

(b) xx xx xx xx

(xx) to (lxxiii) xx xx xx

XX XX XX XX XX

24. General disqualifications for members.- A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified, for being chosen as or for being a member of a Municipality -

(i) to (xvi) xx xx xx xx

(xvii) if he has more than two children, or

(xviii) to (xix) xx xx xx xx

Provided that –

(a) to (d) xx xx xx xx

(e) a person having more than two children shall not be disqualified under clause (xvii) for so long as the number of children he had on 27th November, 1995 does not increase.

Explanation.- For the purpose of clause (xvii),-

(I) any number of children born out of a single delivery shall be deemed to be one entity and any child given in adoption shall not be excluded while computing the number of children; and

(II) while counting the total number of children a child born from earlier delivery and having disability shall not be counted and the word “disability” for this purpose, shall include any type of disabilities specified in or under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).

XX

XX

XX

XX

XX

Bill No. 8 of 2026

**THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES
(AMENDMENT) BILL, 2026**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Jhabar Singh Kharra, Minister-Incharge)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(झाबर सिंह खर्वा, प्रभारी मंत्री)